न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी सुनीता डागा, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 34 / 2018 **दायरा दिनांक : 19.02.2018**

उनवान

रामकिशन आत्मज कान्हा, जाति मीणा, निवासी बिंदाराड़ा, तहसील छबड़ा, जिला बारां

.... अपीलांट

बनाम

1— कजोड़ आत्मज श्रीलाल, जाति मीणा, निवासी बिंदाराड़ा, तहसील छबड़ा, जिला बारां

2— राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार छबड़ा, जिला बारां

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित — श्री उमाशंकर गोस्वामी अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री रामरतन मीणा अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय **दिनांक : 24.10.2018**

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, छबडा के प्रकरण संख्या — 39 / 2014 निर्णय व डिक्री दिनांक 05.05.2017 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

यह अपील अपीलांट द्वारा इस सम्बन्ध में पेश की गई है कि खसरा नम्बर 152 / 85 रकबा 8 बीघा 13 बिस्वा ग्राम बिंदाराड़ा तहसील

छबड़ा में स्थित है जो गोपी लाल कान्हा व कालू की सहखातेदारी की जमीन है जो जमाबंदी सम्वत 2026–29 से प्रमाणित है । कालू के वारिसान गंगा, जमुना, भूली की मृत्यु हो चुकी है । कान्हा के वारिसान अपीलांट हैं जिन्हें नहीं सुना गया है । अपीलांट विवादित आराजी में अपना हिस्सा प्राप्त करने के अधिकारी हैं । अधीनस्थ न्यायालय ने बिना अपीलांट की सुनवायी किये दिनांक 05.05.2017 को जो निर्णय पारित किया है वह गैर कानूनी है एवं प्राक1तिक न्याय के सिद्धांतों के विरूद्ध है क्योंकि उपरोक्त निर्णय में न तो जवाबदावा प्रस्तुत हुआ है और न ही तनकीयात कायम की गई है । इस कारण से कानूनी सिद्धांतों की पालना किये बिना ही और अपीलांट को सुनवायी का समुचित अवसर दिये बिना ही वाद डिक्री किया गया है जो अपास्त किये जाने योग्य है ।

वाद के तथ्य इस प्रकार है कि तहसील छबड़ा के ग्राम बिंदाराड़ा की कृषि भूमि खसरा नम्बर 152/85 रकबा 8 बीघा 13 बिस्वा में गोपी लाल, कालू एवं कान्हा की सबटीनेन्ट सम्वत 2022–25 में चली आ रही है । सम्वत 2026–29 में इस भूमि को मकबूजा सरकार के खाते में दर्ज कर दिया गया । खातेदार कालू, कान्हा, गोपी लाल का स्वर्गवास हो चुका है । स्वर्गीय कालू के वारिसान गंगा, जमना, धूली का भी स्वर्गवास हो चुका है । कालू के कोई पुत्र नहीं है । कान्हा के पुत्र धन्ना और पुत्री भूली का भी स्वर्गवास हो चुका है तथा आपसी पारिवारिक बंटवारे में यह भूमि गोपी लाल के हिस्से में आयी है । गोपी लाल के पुत्री श्रीलाल का भी स्वर्गवास हो चुका है और श्रीलाल एक मात्र जीवित पुत्र मौजूद होने के कारण उक्त भूमि को उसके खाते में दर्ज कराने का अधिकारी है । उक्त भूमि के वादी के पूर्वज सदैव से सबटीनेन्ट रहे हैं, लगान अदा करते रहे हैं । अतः उन्हें खातेदार कृषक घोषित किया जाये । उपरोक्त वाद में प्रतिवादी की आरे से कोई जवाब पेश नहीं किया गया एवं वादी ने अपने पक्ष के समर्थन में जमाबंदी सम्वत 2022–25 जो एक्जीविट 1, जमाबंदी सम्वत 2026–29 जो एक्जीविट 2 है और जमाबंदी सम्वत 2067–70 जो एक्जीविट 3 पेश की है । बहस वादी की एक पक्षीय की गई एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद में

अंकित तथ्यों को स्वीकार करते हुए वादी कजोड़ को उक्त वर्णित आराजी का खातेदार कृषक घोषित किया गया है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 10.02.2018 को हुई । जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है । अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि रेस्पोडेंट ने अपीलांट को पक्षकार बनाये एक पक्षीय दावा डिक्री करवाया है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने कथन किया कि वादग्रस्त आराजी के गोपीलाल, कालू, कान्हा जमाबंदी सम्वत 2022–25 में खातेदार दर्ज है । जमाबंदी सम्वत 2026–29 में अकारण ही मकबूजा सरकार के खाते दर्ज कर दी गई । अपीलांट रामकिशन का अखबार में प्रकाशन किया गया लेकिन न्यायालय में कोई उपस्थित नहीं हुए । अतः अपील सारहीन होने से खारिज की जाये ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । न्याय हित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विलम्ब का शमन किया जाता है ।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं दस्तावेजों का अध्ययन किया गया । पत्रावली में जमाबंदी सम्वत 2026–29 में खाता मकबूजा सरकार में उपरोक्त विवादित आराजी गोपी लाल, कालू और कान्हा के नाम दर्ज है । इसी प्रकार जमाबंदी सम्वत 2067–70 में मकबूजा सरकार में गंगा, जमुना, भूली पुत्री कालू हिस्सा 1/2, धूली बेवा कान्हा, धन्ना लाल, रामकिशन, रामनाथ पुत्र कान्हा हिस्सा 1/2, गोपी लाल हिस्सा 1/3 मीना दर्ज है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपरोक्त दो दस्तावेजों एवं वादी के पक्ष में हुई साक्ष्य के आधारा पर उपरोक्त विवादित आराजी पर रेस्पोडेंट कजोड पुत्र श्रीलाल को खातेदार काश्तकार घोषित किया गया है । पत्रावली के अध्ययन से यह स्पष्ट नहीं है कि कजोड पुत्र श्रीलाल के पूर्वजों का क्या उपरोक्त वादग्रस्त आराजी पर कब्जा काश्त था या उपरोक्त आराजी का आवंटन हुआ था । यदि आवंटन हुआ था तो आवंटन की शर्तों की पालना की गई अथवा नहीं, यह भी स्पष्ट नहीं है कि क्या आवंटी का उपरोक्त वादग्रस्त आराजी पर कब्जा लगातार चला आ रहा है । इस सम्बन्ध में पटवारी, तहसीलदार की कोई रिपोर्ट पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है । क्या कब्जे के आधार पर भूमि रेस्पोडेंट के नाम खातेदारी घोषणा की गई है । यदि कब्जे के आधार पर खाते घोषणा की गई है तो यहां रेवेन्यु बोर्ड के प्रकरण संख्या अपील/डिक्री/टीए/5176/2002/कोटा निर्णय दिनांक 30.08.2018 का उल्लेख करना उचित होगा कि एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में रेस्पोडेंट को किस आधार पर वादग्रस्त आराजी का खातेदार कृषक घोषित किया गया है पूर्णतया अस्पष्ट है । उपरोक्त आराजी में यदि अपीलांट के कोई हित हैं तो उन्हें भी न्यायहित में सुना जाना आवश्यक है । अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत नहीं होने से अपास्त किये जाने योग्य है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 05.05.2017 अपास्त किया जाता है तथा विवादित आराजी पूर्ववत सरकार के खाते दर्ज करने का आदेश दिया जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 24.10.2018 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(सुनीता डागा)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा